

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 6819/2026
URN: CRLMB / 12333U / 2026

Surendra Mali S/o Jagdish Prasad, Aged About 32 Years, R/o Village And Post Bijay Nagar, Tehsil Masoora, District Ajmer (Rajasthan), Presently Residing At Plot No. A-52, Rajdarbar City, Behind Nakoda Mandir, Bijay Nagar, Ajmer (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

-----Petitioner

Versus

Union Of India, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री नेमीचन्द अटल मय श्री एजाज खान, श्री कुणाल नलम्बर श्री विरेन्द्र सैन
For Respondent(s)	:	श्री किन्शुक जैन, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता वास्ते सीमाशुल्क विभाग मय श्री सौरभ जैन श्री पार्थ खाण्डल

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

<u>Reserved on</u>	::	<u>15/07/2026</u>
<u>Pronounced on</u>	::	<u>16/07/2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 22.04.2026 के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रकरण संख्या CUS/ICFS/MISC/613/2021-Prev-0/0 COMMR-CUS-PREV-JODHPUR अपराध अंतर्गत धारा 132 व 135 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में उसे जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को निरस्त किया जा चुका है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि इस मामले में सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर की ओर से अभियुक्त सुरेन्द्र माली के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर-द्वितीय के समक्ष धारा 132 एवं 135 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र माली उर्फ शंकर उर्फ लक्ष्मण उर्फ गुरु पुत्र श्री जगदीश माली मैसर्स बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशंस (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स विजुअल बर्ड्स टेक्नोलॉजी ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर 414,09,03,289/- रुपये से अधिक मूल्य के तस्करी के माल सोने व हीरे की सप्लाई हेतु अस्तित्वहीन फर्जी फर्मों के बिल जारी कर सीमा शुल्क की चोरी की तथा हांगकांग, सिंगापुर और यूएई स्थित फर्मों को भारी राशि के गैरकानूनी प्रेषण में लिप्त फर्जी फर्मों को परोक्ष/अपरोक्ष रूप से सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राजस्व को हानि पहुंचाई ।

बहस सुनी गई ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष हैं, वह दिनांक 01.08.2025 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान/जांच पूर्ण होकर पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें कोई नये तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं । मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि विचारण के दौरान आरोप पूर्व साक्ष्य में तीन साक्षीगण के बयान हो चुके हैं । मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित है तथा साक्षीगण मुख्यतः कस्टम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं, इसलिये साक्ष्य व साक्षीगण को किसी भी तरह से प्रभावित किए जाने की कोई आशंका नहीं है । सह अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं । अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे ।

उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं:—

1. Arvind Dham Vs. Directorate of Enforcement 2026 SCC
OnLine SC 30

प्रत्यर्थी/परिवादी कस्टम विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान standing counsel श्री किंशुक जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र माली का शुरू से ही अनुसंधान में सहयोग नहीं रहा है। उसे कई बार सम्मन भेजे गए हैं लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी सभी अभियुक्तगण का ग्रुप लीडर रहा है। न्यायिक अभिरक्षा के दौरान भी न्यायालय की अनुमति के पश्चात उसके बयान न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए हैं। धारा 108 कस्टम एक्ट के तहत जो बयान लिए गए हैं वे साक्ष्य में ग्राह्य हैं तथा उनके आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। यदि प्रार्थी को जमानत दे दी गई तो वह साक्ष्य को नष्ट/प्रभावित कर सकता है। उनका यह भी निवेदन रहा है कि अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना शेष है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

उनकी ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये हैं:—

- 1- Dheeraj Singhal Vs. Union of India - S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3486/2024 decided on 08.08.2024
- 2- Dheeraj Singhal Vs. Union of India - Special Leave Petition (Criminal) No. 12301/2024 decided on 13.11.2024
- 3- Hansraj Gurjar Vs. Union of India - S.B. Criminal (Misc.) Second Bail Application No. 8382/2026 decided on 03.07.2026

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री तथा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.08.2025 से अभिरक्षा में है। संपूर्ण जांच/अनुसंधान होने के पश्चात् निष्कर्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सह अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र समय-समय पर स्वीकार किए जा चुके हैं। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि 11 माह से अधिक हो चुकी है। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय

व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 1,00,000/—रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 50,000—50,000/— रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेन्द्र माली पुत्र जगदीश प्रसाद** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve